A6
7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/प्रा.पत्र/2014	03.03.2014	19.07.2019

प्रार्थना पत्र श्री सत्यनारायण आ. रामकुमार जाति धाकड निवासी कोरमा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.) – प्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आवंटन निर्णय दिनांक 12.11.2001 प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने दिनांक 03.03.2014 को प्रार्थना पत्र नाम ग्राम दुरूस्ती बाबत् जरिये अभिभाषक पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला अभिलेखागार, बून्दी से मूल पत्रावली तलब की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि प्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1999 को ग्राम कोरमा की भूमि खसरा नं. 996 रकबा 07 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात् सरकार जरिये तहसीलदार ने आवंटन निरस्त करवाने हेतु श्रीमान् के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) पेश किया। उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र में आवंटी का निवास स्थान ग्राम कोरमा के स्थान पर ग्राम चेनपुरिया अंकित किया गया जबकि प्रार्थी (आवंटी) ग्राम कोरमा का निवासी है। दोनो ही गांव आधा किमी की दूरी पर स्थित है। उक्त ग्राम त्रुटि से न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित हुआ जबकि प्रार्थी (आवंटी) का निवास स्थान कोरमा होना चाहिये था।

माननीय न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय दिनांक 12.11.2001 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत करने पर अपील को स्वीकार करते हुये दिनांक 06.09.2010 को प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुये प्रार्थी (आवंटी) का आवंटन बहाल रखा गया तथा प्रार्थी (आवंटी) के पडोसी काश्तकार कालू लाल द्वारा फिर अपील पेश की गई जिसमें भी राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने दिनांक 10.05.2012 को अपील खारिज करते हुये आवंटन बहाल रखा गया।

प्रार्थी (आवंटी) उक्त निर्णयों की नकल प्राप्त कर सम्बन्धित पटवारी हल्का के पास आवंटन आदेश के अनुसार नामा. खुलवाने गया तो जानकारी हुई कि निवास स्थान गलत होने से नामा. खोलना सम्भव

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज.)

नहीं है। अतः सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गांव का नाम गलत चेनपुरिया अंकित किया गया है जबकि आवंटी ग्राम कोरमा का निवासी है एवं ग्राम कोरमा में ही भूमि का आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थी (आवंटी) का निवास ग्राम चेनपुरिया के स्थान पर ग्राम कोरमा दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया गया। जिला अभिलेखागार, बून्दी से मूल पत्रावली तलब की गई का अध्ययन किया। प्रार्थी (आवंटी) श्री सत्यनारायण आ. रामकुवांर जाति धाकड़ निवासी कोरमा को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 15.06.1999 को ग्राम कोरमा में भूमि खसरा नं. 996 रकबा 07 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। तहसीलदार, नैनवां ने प्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु जो प्रार्थना पत्र 14(4) नियम 1970 का इस न्यायालय में पेश किया गया है। उसमें प्रार्थी (आवंटी) का निवास स्थान ग्राम चेनपुरिया अंकित किया गया है। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2001 को एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुये आवंटन निरस्त किया गया है। जिसकी आवंटी ने राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई। राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने दिनांक 06.09.2010 को निर्णय पारित करते हुये पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्वत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। इस न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण को 77/प्रा.पत्र/2010 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 13.01.2011 को निर्णय पारित करते हुये आवंटी का भूमि आवंटन दिनांक 15.06.1999 बहाल रखा गया। इस निर्णय दिनांक 13.01.2011 के विरूद्व आवंटी (प्रार्थी) के विरूद्व गोपाल आ. ग्यारसा धाकड़ निवासी कोरमा ने राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां अपील पेश की गई। जिसमें भी राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने दिनांक 11.05.2012 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थी (आवंटी) का भूमि आवंटन दिनांक 15.06.1999 बहाल रखा गया। इन सभी निर्णयों में प्रार्थी का निवास स्थान ग्राम चेनपुरिया लिखा हुआ है। जबकि प्रार्थी द्वारा जो आवंटन आवेदन पत्र आवंटन सलाहकार समिति, खानुपरा दिनांक 15.06.1999 को पेश किया गया है उसमें प्रार्थी का निवास स्थान ग्राम कोरमा लिखा गया है। पटवारी द्वारा आवेदन पत्र की जॉच रिपोर्ट में भी प्रार्थी का निवास ग्राम कोरमा लिखा हुआ है एवं आवंटन भी ग्राम कोरमा में ही किया गया है। अतः प्रार्थी (आवंटी) श्री सत्यनारायण आ. रामकुंवार जाति धाकड निवासी कोरमा का ही निवासी है। अतः आवंटी को ग्राम कोरमा का निवासी मानते हुये ही राजस्व रेकार्ड में अमल किया जावे।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)